पतंजलि विश्वविद्यालय
University of Patanjali
उत्तराखण्ड विधान मण्डल द्वारा पारित पतंजलि विश्वविद्यालय अधिनियम संख्या 4, वर्ष 2006 के अन्तर्गत स्थापित
Established by Uttarakhand State Legislature Under the University of Patanjali Act No. 4, Year 2006

पत्रांक (Ref.) : .... दिनांक (Date) : 28.04.2025

प्रेस विज्ञप्ति

पतंजलि विश्वविद्यालय और वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के बीच हुआ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन

- **कृषि, अनुसंधान और नवाचार को मिलेगा बल, उद्यमिता को मिलेगी नई उड़ान**
- **शैक्षणिक उत्कृष्टता की ओर कदम**
- **समझौता ज्ञापन से छात्रों के लिए नए अवसरों के द्वार खुले**

हरिद्वार, 28 अप्रैल। पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार और वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून के बीच आज शैक्षणिक एवं अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने हेतु एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर पतंजलि विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य बालकृष्ण एवं उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. ओंकार सिंह ने समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि यह साझेदारी विद्यार्थियों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

इस समझौते के तहत योग विज्ञान, आयुर्वेद , प्राकृतिक चिकित्सा, संबद्ध एवं अनुप्रयुक्त विज्ञानों तथा अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी के एकीकरण के माध्यम से कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। विशेष रूप से, पतंजलि विश्वविद्यालय द्वारा कृषि क्षेत्र में किए गए अनुसंधान कार्यों को किसानों तक पहुँचाने के उद्देश्य से उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय परिसरों में किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किए जाएंगे।

इस समझौते के अंतर्गत अकादमिक, अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में सहयोग, कौशल विकास एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन तथा प्रौद्योगिकी नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने पर बल दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समुदायों के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में भी प्रयास किए जाएंगे।

इस द्विपक्षीय समझौते के तहत दोनों विश्वविद्यालय मिलकर समकालीन विषयों पर प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम, अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक पाठ्यक्रम, संयुक्त अनुसंधान और प्रकाशन कार्य, विशेषज्ञ सलाह, संयुक्त कार्यशालाएँ, सेमिनार और सम्मेलन आयोजित करेंगे। साथ ही, संयुक्त पाठ्यक्रमों का संचालन, अध्ययन सामग्री का आदान-प्रदान, अस्पताल प्रबंधन से जुड़े कार्यक्रम, विशिष्ट विषयों पर शोध और रिपोर्टों का प्रकाशन भी किया जाएगा। सांस्कृतिक आदान-प्रदान, खेल प्रतियोगिताएँ और सोशल आउटरीच गतिविधियाँ भी इस सहयोग का हिस्सा होंगी। विद्यार्थियों के लिए छात्र आदान-प्रदान कार्यक्रमों (स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम) के माध्यम से प्रशिक्षण, इंटर्नशिप और अनुसंधान के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।

समझौता ज्ञापन के इस अवसर पर पतंजलि विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रो. मयंक कुमार अग्रवाल, परीक्षा नियंत्रक प्रो. अरविंद कुमार सिंह तथा उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक डॉ. वीके पटेल और वित्त नियंत्रक विक्रम सिंह जंतवाल सहित दोनों विश्वविद्यालयों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने इस समझौते को शिक्षा और शोध के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल बताया और भविष्य में इसे और विस्तार देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

शिविर कार्यालय : पतंजलि योगपीठ, दिल्ली–हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग, निकट बहादराबाद, हरिद्वार–249405, उत्तराखण्ड, भारत
Camp Office : Patanjali Yogpeeth, Delhi-Haridwar National Highway, Near Bahadrabad, Haridwar-249405, Uttarakhand, India
(फोन) **Phone :** 01334-242526 (ई-मेल) **E-mail :** contact@uop.edu.in (वैब) **Web. :** www.universityofpatanjali.com